

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग


क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-3/2004

जयपुर, दिनांक
20 APR 2016

अधिसूचना

राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-15 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु इस अभियान से जुड़े पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर, जल संसाधन विभाग, वन विभाग कृषि-उद्यानिकी विभाग, भू जल विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल ग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग के जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले राजपत्रित (अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर) अधिकारियों के द्वारा अनुशासनहीनता, आदेशों की अवज्ञा, दुराचरण या कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उन पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अधीन लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए उक्त योजना के प्रभावी रहने तक विशेष रूप से सशक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(आशु चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त।
4. सम्भागीय आयुक्त जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर एवं भरतपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
10. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रशासनिक सुधार (समन्वय कक्ष) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियाँ), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(आशु चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, रेवेन्यू बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।
7. स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



(आशु चौधरी)

शासन उप सचिव